आदेश पत्रक

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः 40 / 2024 दर्ज दिनांकः 18.10.2024
जी.सी.एम.एस. न0ः 2024 / 329

1. जमनलाल सैनी पुत्र दम्भाराम निवासी ग्राम जगदीशपुरा तह. उदयपुरवाटी।
प्रार्थी........

बनाम

1. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
अप्रार्थी..........

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांकः—23.04.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम जगदीशपुरा व पापड़ा खुर्द पटवार हल्का पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. नया 132, 133, 142, 143, 146, 147, 148 रकबा क्रमशः 0.14, 0.20, 0.25, 0.24, 0.26, 0.17, 0.20 कुल किता 7 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर तथा भूमि ख.नं. नया 168, 169, 173 रकबा क्रमशः 0.23, 0.15, 0.19 कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 हैक्टर एवं भूमि ख.सं. नया 104, 92 रकबा क्रमशः 0.18, 1.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.24 हैक्टर भूमि के प्रार्थी के पिता दम्भाराम पुत्र कालूराम खातेदार काश्तकार है उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दम्भाराम पुत्र कालूराम की जगह दमाराम पुत्र कालू, दयाराम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज हो गया है जो गलत है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अधिकारीयों ने त्रुटिपूर्ण रूप से दम्भाराम पुत्र कालूराम की जगह दमाराम पुत्र का, दयाराम पुत्र कालू राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जो गलत है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज होने के कारण से प्रार्थी के पिता फौत होने के पश्चात् नामान्तकरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी अपने पिता का नाम सही कराने के लिए तहसीलदार से कहा लेकिन तहसीलदार ने प्रार्थी को कहा कि न्यायालय के आदेश से ही राजस्व रिकार्ड में नाम सही होगा इस कारण से प्रार्थी को प्रार्थना—पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ आवश्यक हुआ है। प्रार्थी के परिवार राशनकार्ड, प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रार्थी के पिता की ग्राम जगदीशपुरा में स्थित अन्य भूमियां जिनके खाता सं. नया 22, 36 है में सही नाम दम्भाराम पुत्र कालूराम दर्ज है जो कि सही है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से सरकारी लाभों का लाभ प्रार्थी को नहीं मिल पा रहा है।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम जगदीशपुरा व पापड़ा खुर्द पटवार हल्का पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. नया 132, 133, 142, 143, 146, 147, 148 रकबा क्रमशः 0.14, 0.20, 0.25, 0.24, 0.26, 0.17, 0.20 कुल किता 7 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर तथा भूमि ख.नं. नया 168, 169, 173 रकबा क्रमशः 0.23, 0.15, 0.19 कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 हैक्टर एवं भूमि ख.सं. नया 104, 92 रकबा क्रमशः 0.18, 1.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.24 हैक्टर भूमि के

AnyScanner

प्रार्थी के पिता दम्भाराम पुत्र कालूराम खातेदार काश्तकार है उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दम्भाराम पुत्र कालूराम की जगह दमाराम पुत्र कालू, दयाराम दर्ज हो गया है अतः उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी को दिये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र कमांक भू.अ./2025/719 दिनांक 25.03.2025 से जबाब/तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम दम्भा/दया/दमाराम पुत्र श्री कालूराम जाति माली एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम जगदीशपुरा व पापड़ा खुर्द पटवार हल्का पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. नया 132, 133, 142, 143, 146, 147, 148 रकबा क्रमशः 0.14, 0.20, 0.25, 0.24, 0.26, 0.17, 0.20 कुल किता 7 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर तथा भूमि ख.नं. नया 168, 169, 173 रकबा क्रमशः 0.23, 0.15, 0.19 कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 हैक्टर एवं भूमि ख.सं. नया 104, 92 रकबा क्रमशः 0.18, 1.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.24 हैक्टर भूमि के प्रार्थी के पिता दम्भाराम पुत्र कालूराम खातेदार काश्तकार है उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दम्भाराम पुत्र कालूराम की जगह दमाराम पुत्र कालू, दयाराम सहवन से दर्ज हो गया है अतः राजस्व रिकार्ड को शुद्ध व दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जगदीशपुरा व पापड़ा खुर्द पटवार हल्का पापड़ाकलां तह. उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. नया 132, 133, 142, 143, 146, 147, 148 रकबा क्रमशः 0.14, 0.20, 0.25, 0.24, 0.26, 0.17, 0.20 कुल किता 7 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर तथा भूमि ख.नं. नया 168, 169, 173 रकबा क्रमशः 0.23, 0.15, 0.19 कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 हैक्टर एवं भूमि ख.सं. नया 104, 92 रकबा क्रमशः 0.18, 1.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.24 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम दमाराम पुत्र कालू, दयाराम के स्थान पर दम्भाराम पुत्र कालूराम **शुद्ध/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।**

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner